

पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता

¹प्रिया पुरोहित

सारांश

पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्तर पर राजनीतिक जागरूकता की प्रथम पाठशाला है। जिस प्रकार परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला होती है, उसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था शासन-राजनीति की स्थानीय पाठशाला है। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्तर पर स्वशासन का श्रेष्ठ उदाहरण है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था का स्थानीय रूप है। जिस प्रकार लोकतन्त्र शासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करता है। उसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था स्थानिय स्तर पर शासन-प्रबन्ध में जन सहभागिता को सुनिश्चित करता है। पंचायती राज व्यवस्था ही स्थानिय स्तर पर लोकतन्त्र को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है। इस अवधारणा को धरातल पर 'ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी' के नाम से भी जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान समय में ग्रामीण स्वायत्त शासन अर्थात् स्थानीय प्रशासन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। भारत सरकार ने पंचायतों को अधिकार देने और सशक्त बनाने के लिए 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम सामाजिक क्रांति का शंखनाद करने वाला सिद्ध हो रहा है। इससे ग्रामीण भारत में नवीन जन प्रतिनिधित्व का उदय हो रहा है। 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम से महिला सहभागिता में विशेष अभिवृद्धि हुई है।

मूल शब्द

विकेन्द्रिकृत व्यवस्था, लोकतान्त्रिक पद्धति, पंचायती राज व्यवस्था, राजनीतिक सहभागिता, महिला सहभागिता

¹प्रिया पुरोहित, वनस्थली विद्यापीठ, टोक, राजस्थान

प्रस्तावना

महात्मा गाँधी के अनुसार भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। भारत मूल रूप से कृषि प्रधान देश है और देश की अधिकांश जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है। ऐसे में गांवों के विकास पर ही देश का विकास सम्भव है। गांवों के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना सम्भव नहीं है। अतः देश के विकास के लिए गांवों का विकास आवश्यक है लेकिन गांवों का विकास जन सहयोग और जन सहभागिता के बिना सम्भव नहीं है। विकास प्रक्रिया में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों का स्थानीय शासन प्रक्रियाओं से जुड़ाव आवश्यक है, लेकिन शासन की केन्द्रीकृत व्यवस्था में ऐसा सम्भव नहीं है। अतः शासन-संस्था को विकेन्द्रिकृत करना आवश्यक है। शासन-संस्था की विकेन्द्रिकृत व्यवस्था के रूप में मुख्यतः 'ग्राम राज' अथवा 'पंचायती राज' की वकालत की जाती है।

1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में भारत के लिए ग्राम स्वराज की अवधारणा का समर्थन किया था।¹ महात्मा गाँधी की 'ग्राम स्वराज्य की परिकल्पनानुसार' आत्मनिर्भर गांव को राष्ट्रीय ढांचे की इकाई माना जाये।² गाँवों को उचित ढंग से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है।³ स्वतन्त्रता के पश्चात् पंचायती राज की स्थापना महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243-घ के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के सभी तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया।³

पंचायती राज व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धति का मूल आधार है। सभ्य समाज की स्थापना के बाद से ही मनुष्य ने जब समूहों में रहना सीखा तभी से पंचायती राज के आदर्श और मूल सिद्धान्त भी उसकी चेतना में विकसित होते आये हैं। विभिन्न कालों में इसके विभिन्न नाम थे। कभी गणराज्य, कभी नगर शासन व्यवस्था लेकिन इन व्यवस्थाओं में एक दूसरे के साथ रहने, मिल-जुल कर काम करने की प्रवृत्ति निरन्तर विकसित होती रही। इन व्यवस्थाओं का मूल मंत्र आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन रहा है।⁴ पंचायतीराज स्थानीय सार्वजनिक कार्यों से सम्बन्धित प्रशासन में जनता की सहभागिता की एक व्यवस्था है। भारतीय सन्दर्भ में यह एक ऐसी स्थानीय स्वशासी राज व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा अपने सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास का दायित्व वहन किया जाता है। पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्र में लोककल्याणकारी प्रशासन की आधारभूत इकाई है। ये संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर नागरिकों की राजनैतिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनको राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति में सहभागिता प्रदान करती है।

राजनीतिक सहभागिता प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य शर्त है। लोक अर्थात् जन सामान्य की राजनीतिक सहभागिता के बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन असंभव है। भारत जैसे विस्तृत एवं विविधतापूर्ण राष्ट्र में राजनीतिक सहभागिता के एक समान प्रतिमान को कठोरता से लागू करना संभव नहीं था। अतः स्थानीय स्तर विशेष रूप से ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। वर्तमान में महिला राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता अध्ययन का प्रमुख विषय बन गया है। भारतीय राजनीति में राजस्थान प्रदेश के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं से महिला सहभागिता एक महत्वपूर्ण अध्ययन के रूप में उभरा है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता के अध्ययन से पूर्व राजनीतिक सहभागिता को समझना आवश्यक है।

राजनीति सहभागिता का अभिप्राय

राजनीति सहभागिता से अभिप्राय उन स्वैच्छिक क्रियाओं से है, जिनके द्वारा किसी समाज के सदस्य शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जन-नीतियों के निर्माण में भाग लेते हैं। नीई तथा वर्बा के अनुसार राजनीतिक सहभागिता सामान्य व्यक्तियों की वे विधि सम्मत गतिविधियाँ हैं, जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन तथा उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है। अन्य शब्दों में राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति की ऐसी राजनीतिक क्रिया है, जिसमें राजनीतिक सत्ता पर कारको का चयन व उनकी निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है।⁵

राजनीति के साथ आवेष्टन के अन्तर्गत व्यक्ति द्वारा जो राजनैतिक व्यवहार या क्रिया की जाती है, वह राजनीतिक सहभागिता होती है। यह व्यक्ति का सचेतन निर्णय होता है और यह क्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। राजनैतिक गतिविधि में व्यक्ति प्रमुख होता है,⁶ क्योंकि व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार ही राजनीतिक संस्थाओं के विकास को निर्धारित करता है। व्यक्ति की राजनीतिक

क्रियाशीलता लोकतांत्रिक संस्थाओं को पोषित करती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता का और भी महत्व इस कारण होता है, क्योंकि अधिकांश राजनैतिक संस्थाओं के निर्माण एवं संचालन का कार्य नागरिकों द्वारा किया जाता है। नागरिक राजनैतिक पदधारकों का चयन करते हैं और राजनैतिक पदों को धारण कर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। भारतीय संविधान स्थानीय संस्थाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की संस्थाओं में नागरिकों की सहभागिता के प्रचुर अवसर प्रदान करता है। यद्यपि भारतीय महिलाओं को नागरिक के रूप में संवैधानिक आधार पर ये अवसर प्रारम्भ से ही प्राप्त हैं, किन्तु राजनैतिक निर्णयकारिता में महिलाओं की सहभागिता स्वतंत्रता के 70 दशक के बाद भी उल्लेखनीय रूप से नहीं हो पाई है।⁷ भारतीय समाज के राजनीतिक पटल पर महिलाएं आज भी उपेक्षित समाज का एक बड़ा हिस्सा हैं। राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा अर्थात् लोकसभा में महिला नेतृत्व मात्र 14 प्रतिशत (78) तथा राजस्थान प्रदेश विधानसभा में महिला नेतृत्व मात्र 12.5 प्रतिशत (25) है।⁸ जो राजनीति में महिला सहभागिता की उपेक्षित स्थिति को इंगित करता है।

पंचायती राज में महिला सहभागिता

पंचायती राज के सन्दर्भ में महिला नेतृत्व एक नूतन आयाम है तथा ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व को उभारने में 73वें संवैधानिक संशोधन का विशेष योगदान है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक जीवन में बुनियादी परिवर्तन आया है। समाज में महिलाओं और कमजोर वर्गों में नेतृत्व उभरने लगा है।⁹ 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलाएँ सभी स्थानीय स्वशासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्वाचित होंगी, जिसमें पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद) सभी स्तर शामिल हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। किसी पंचायती राज संस्था में जितने सदस्य इस वर्ग से होंगे, उनका एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। उदाहरण के लिये यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 9 है तो 3 स्थान इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, लेकिन ये आरक्षित पद महिलाओं के कुल आरक्षित पदों में सम्मिलित माने जायेंगे।¹⁰ अन्य शब्दों में 73वां संविधान संशोधन (1993) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये सीटें आरक्षित होंगी। यह सीटें पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जायेगी। ये सीटें एक पंचायत में पदानुक्रम से विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित की जायेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में कम से कम एक तिहाई स्थान अनुसूचित जाति-जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से न्यूनतम एवं तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। ये सीटें पदानुक्रम से एक पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षित की जायेगी।¹¹ इस प्रकार यह संशोधित विधेयक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर सत्ता में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करता है।

पंचायती राज में महिला सहभागिता की दृष्टि से राजस्थान का अवलोकन

भारतीय संविधान के 72वें संशोधन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाकर 23 अप्रैल, 1994 में सम्पूर्ण राजस्थान में प्रभावशील कर त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्थापित की गई।¹² इस अधिनियम में प्रत्येक पंचायत सर्किल (लगभग 3000 जनसंख्या) पर एक ग्राम पंचायत का प्रावधान है, जिसका गठन पंचायत क्षेत्र में मतदाता सीधे निर्वाचन द्वारा करते हैं। सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक पंच का निर्वाचन होता है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सदस्यता का प्रावधान है। पिछड़ी जातियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित होते हैं। कुल के एक तिहाई स्थान महिलाओं

(अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की महिलाओं को शामिल करते हुए) के लिए आरक्षित होते हैं। सरपंच पद को क्रमावर्तन से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।¹³

अधिनियम में एक विकास खण्ड के लिए पंचायती राज के मध्य स्तर के रूप में एक पंचायत समिति का प्रावधान है जिसके गठन हेतु सदस्यों का निर्वाचन खण्ड क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। कुल के एक तिहाई स्थान महिलाओं (अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की महिलाओं का शामिल करते हुए) के लिए आरक्षित होते हैं। पंचायत समिति के प्रावधानों के पद क्रमावर्तन से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं।¹⁴ प्रत्येक जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था के रूप में एक जिला परिषद का प्रावधान है। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की तरह ही जिला परिषद में भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। सम्पूर्ण राज्य में जिला प्रमुखों के जितने स्थान है, वे क्रमावर्तन से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित होते हैं।¹⁵ इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद) पर महिला सहभागिता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अति महत्वपूर्ण है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता ना सिर्फ उनकी राजनीतिक सहभागिता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुनिश्चित करती है बल्कि उनके विकास संबंधी उद्देश्यों को भी कार्यान्वित करती है। पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता को मुख्यतः तीन स्तरों पर देखा जा सकता है-¹⁶

- महिला मतदाता के रूप में
- महिला प्रत्याशी के रूप में
- निर्वाचित महिला सदस्य के रूप में

सारणी-1

पंचायती राज आम चुनावों महिला मतदाताओं की संख्या

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल मतदाता
1995	11876	10698	22574
2000	12929	11714	24643
2005	14730	13451	28181
2010	15330	13896	29226
2015	17365	15767	33133

स्रोत - सम्मरी ऑफ डाटा, टेबिल-1, इलेक्टोरेट एण्ड पॉलिंग बूथस् पृ. 1, रिपोर्ट ऑन पंचायत जनरल इलेक्शन 2015 (राजस्थान) वॉल्यूम-३ (ग्राम पंचायत) स्टेट इलेक्शन कमिशन, राजस्थान, जयपुर

पंचायत आम चुनाव 1995 में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 22,574 रही, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11876 तथा महिला मतदाओं की संख्या 10698 रही। पंचायत आम चुनाव 2000 में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 24,643 रही, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 12,929 तथा महिला मतदाओं की संख्या 11,714 रही। पंचायत आम चुनाव 2005 में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 28,181 रही, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 14,730 तथा महिला मतदाओं की संख्या 13,451 रही। पंचायत आम चुनाव 2010 में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 29,226 रही, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 15,330 तथा महिला मतदाओं की संख्या 13,896 रही। पंचायत आम चुनाव 2015 में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 33,133 रही, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 17,365 तथा महिला मतदाओं की संख्या 15,767 रही।¹⁷

सारणी-2 राजस्थान पंचायत आम चुनाव 2015 जिलेवार ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण की वर्गवार स्थिति

क्र.सं.	जिला	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.वर्ग	योग
1.	अजमेर	273	78	18	2	26	124
2.	अलवर	512	151	43	18	41	253
3.	बांसवाड़ा	346	0	1	158	0	159
4.	बारा	221	60	17	24	6	107
5.	बाड़मेर	489	138	37	13	44	232
6.	भरतपुर	374	105	36	3	38	182
7.	भीलवाड़ा	381	100	31	22	32	185
8.	बीकानेर	290	80	32	0	30	142
9.	बूंदी	183	47	17	22	5	91
10.	चित्तौड़गढ़	291	80	21	20	20	141
11.	चूरू	254	68	30	0	25	123
12.	दौसा	234	54	24	34	3	115

13.	धौलपुर	171	48	17	4	14	83
14.	डूंगरपुर	291	1	2	136	0	139
15.	गंगानगर	336	84	64	0	13	161
16.	हनुमानगढ़	251	58	37	0	24	119
17.	जयपुर	530	153	41	29	36	259
18.	जैसलमेर	140	43	10	4	13	70
19.	जालोर	273	76	24	10	22	132
20.	झालावाड़	251	68	21	16	17	122
21.	झुंझुनू	301	92	24	0	29	145
22.	जोधपुर	466	141	35	3	43	222
23.	करौली	227	50	27	28	2	107
24.	कोटा	155	40	18	11	7	76
25.	नागौर	467	141	51	0	46	238
26.	पाली	321	90	29	11	26	156
27.	प्रतापगढ़	165	6	2	69	0	77
28.	राजसमंद	203	57	10	16	18	101
29.	सवाई माधोपुर	199	52	20	27	4	98
30.	सीकर	343	105	25	3	33	166
31.	सिरोही	162	34	14	29	3	80
32.	टोंक	230	63	22	17	11	113
33.	उदयपुर	545	49	10	188	15	262
	योग	9875	2412	810	912	646	4780

स्रोत - पंचायत आम चुनाव 2015, डिस्ट्रीक वाइज स्टेटमेन्ट सोइंग कटेगिरी ऑफ ग्राम पंचायत, पृष्ठ-3, रिपोर्ट ऑन पंचायत जनरल इलेक्शन 2015 (राजस्थान) वॉल्यूम-३ (ग्राम पंचायत) स्टेट इलेक्शन कमिशन, राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2008 में गहलोट सरकार द्वारा पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में रोक लगा दी और 19 मई 2000 को सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। इसके बाद नगरपालिका चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया लेकिन पंचायतीराज विभाग ने पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन नहीं किया और कोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाओं को पंचायती राज निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।¹⁸

इस प्रकार पंचायती राज चुनाव 2015 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। प्रदेश के 33 जिलों की कुल 9875 ग्राम पंचायतों में से महिला आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 4780 रही। जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 2412, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 810, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 912 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 646 रही।

अजमेर जिले की 273 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 124 रही, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 78, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 18, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 2 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 26 रही। अलवर जिले की कुल 512 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 253 रही, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 151, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 43, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 18 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 41 रही। बांसवाड़ा जिले की कुल 346 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 159 रही, जिसके अंतर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए शून्य, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए एक, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 158 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या शून्य रही।

बॉरा जिले की कुल 221 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 107 रही, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 60, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 17, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 24 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 6 रही। बाड़मेर जिले की कुल 489 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 232 रही, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 138, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 37 अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 13 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 44 रही। भरतपुर जिले की कुल 374 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 182 रही, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 105, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 36, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 3 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 38 रही।

वर्ग की महिलाओं के लिए 10, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 16 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 18 रही। सवाई माधोपुर जिले की कुल 199 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 98 रही, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 52, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 20, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 27 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या मात्र 4 रही। सीकर जिले की कुल 343 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 166 रही, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 105, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 25, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 3 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 33 रही।

सिरोही जिले की कुल 162 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 80 रही, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 34, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 14, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 29 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या मात्र 3 रही। टोंक जिले की कुल 230 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 113 रही, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 63, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 22, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 17 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 11 रही। उदयपुर जिले की कुल 545 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 262 रही, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 49, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 10, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 188 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 15 रही।¹⁹

सारणी-3

पंचायती राज चुनाव 2015

वर्गवार निर्वाचित महिला सरपंच

क्र.सं.	जिला	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.वर्ग	योग
1.	अजमेर	273	34	21	3	72	130
2.	अलवर	512	38	50	29	146	263
3.	बांसवाड़ा	346	0	1	186	0	187
4.	बारां	221	27	18	33	32	110
5.	बाड़मेर	489	64	49	13	122	248

6.	भरतपुर	374	18	39	7	137	201
7.	भीलवाड़ा	381	58	33	18	78	187
8.	बीकानेर	290	44	35	0	68	147
9.	बूंदी	183	16	20	27	28	91
10.	चित्तौड़गढ़	291	43	22	20	59	144
11.	चूरू	254	32	36	1	63	132
12.	दौसा	234	9	26	64	19	118
13.	धौलपुर	171	23	18	8	38	87
14.	डूंगरपुर	291	0	2	154	0	156
15.	गंगानगर	336	17	69	0	82	168
16.	हनुमानगढ़	251	9	40	0	76	125
17.	जयपुर	530	55	44	47	119	265
18.	जैसलमेर	140	30	12	4	29	75
19.	जालोर	273	58	27	10	43	138
20.	झालावाड़	251	28	22	20	57	127
21.	झुंझुनू	301	21	26	2	106	155
22.	जोधपुर	466	82	36	4	111	233
23.	करौली	227	4	34	52	25	115
24.	कोटा	155	16	20	18	24	78
25.	नागौर	467	60	54	0	135	249
26.	पाली	321	57	31	12	62	162
27.	प्रतापगढ़	165	3	1	78	2	84

28.	राजसमंद	203	30	13	16	44	103
29.	सवाई माधोपुर	199	12	22	46	23	103
30.	सीकर	343	30	28	6	115	179
31.	सिरोही	162	24	15	33	10	82
32.	टोंक	230	21	24	22	49	116
33.	उदयपुर	545	33	10	215	27	285
	योग	9875	996	898	1148	2001	5043

स्रोत - पंचायत जनरल इलेक्शन 2015, सेक्स एंड केटेगरी वायज इलेक्टेड सरपंच (डिस्ट्रीक वाइज) पृष्ठ-13, रिपोर्ट ऑन पंचायत जनरल इलेक्शन 2015 (राजस्थान) वॉल्यूम-०५ (ग्राम पंचायत) स्टेट इलेक्शन कमिशन, राजस्थान, जयपुर

पंचायत आम चुनाव 2015 में राजस्थान प्रदेश के 33 जिलों की कुल 9875 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित 9875 सरपंचों में से महिला सरपंचों की संख्या 5,043 रही। जिसमें सामान्य वर्ग से 996, अनुसूचित जाति से 898, अनुसूचित जनजाति से 1148 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 2001 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। यदि प्रदेश के प्रत्येक जिले में वर्गानुसार निर्वाचित महिला सरपंचों की स्थिति का अध्ययन किया जाये तो ज्ञात होता है कि अजमेर जिले की 273 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों (273) में महिला सरपंचों की संख्या 130 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 34, अनुसूचित जाति से 21, अनुसूचित जनजाति से 3 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 72 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। अलवर जिले की 512 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 263 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 38, अनुसूचित जाति से 50, अनुसूचित जनजाति से 29 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 146 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बांसवाड़ा जिले की 346 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 187 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से शून्य, अनुसूचित जाति से एक, अनुसूचित जनजाति से 186 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से शून्य महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बारां जिले की 221 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 110 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 27, अनुसूचित जाति से 18, अनुसूचित जनजाति से 33 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 32 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बाड़मेर जिले की 489 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 248 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 64, अनुसूचित जाति से 49, अनुसूचित जनजाति से 13 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 122 महिला सरपंच निर्वाचित हुई।

भरतपुर जिले की कुल 374 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 201 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 18, अनुसूचित जाति से 39, अनुसूचित जनजाति से 7 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 137 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। भीलवाड़ा जिले की 381 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 187 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 58, अनुसूचित जाति से 33, अनुसूचित जनजाति से 18 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 78 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बीकानेर जिले की 290 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 147 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 44, अनुसूचित जाति से 35, अनुसूचित जनजाति से शून्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 68 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बूंदी जिले की 183 ग्राम पंचायतों में

अनुसूचित जाति से 54, अनुसूचित जनजाति से शून्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 135 रही। पाली जिले की 321 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 162 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 57, अनुसूचित जाति से 31, अनुसूचित जनजाति से 12 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 62 रही। प्रतापगढ़ जिले की 165 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 84 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 3, अनुसूचित जाति से 1, अनुसूचित जनजाति से 78 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 2 रही।

राजसमन्द जिले की 203 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 103 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 30, अनुसूचित जाति से 13, अनुसूचित जनजाति से 16 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 44 रही। सवाई माधोपुर जिले की 199 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 103 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 12, अनुसूचित जाति से 22, अनुसूचित जनजाति से 46 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 23 रही। सीकर जिले की 343 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 179 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 30, अनुसूचित जाति से 28, अनुसूचित जनजाति से 6 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 115 रही। सिरोही जिले की 162 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 82 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 24, अनुसूचित जाति से 15, अनुसूचित जनजाति से 33 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 10 रही। टोंक जिले की 230 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 116 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 21, अनुसूचित जाति से 24, अनुसूचित जनजाति से 22 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 49 रही। उदयपुर जिले की 545 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 285 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 33, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 215 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 27 रही।²⁰

सारांश

महिलाएं अपनी स्थानीयता से अधिक प्रभावित होती हैं। राजनीति में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व महिला सशक्तिकरण को इतना प्रभावित नहीं कर पाया है, जितना अपेक्षित था। अतः संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए पंचायतीराज के प्रत्येक स्तर के कुल स्थानों में एक तिहाई स्थानों पर महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई। पंचायतीराज संस्थाओं में महिला आरक्षण की व्यवस्था मात्र एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की परिकल्पना को पूर्ण करने का स्थानीय प्रयास है जो विकास की द्वि-मार्गीय प्रक्रिया पर आधारित है। अर्थात् महिला सशक्तिकरण का प्रश्न सिर्फ इस पक्ष से सम्बन्धित नहीं है कि महिलाएँ स्वयं अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक हो बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि विकास में उनकी पूर्ण भागीदारी हो। महिला लाभार्थी ही नहीं बल्कि उनकी भूमिका निर्णायक भी हो। पंचायतीराज संस्थाओं में महिला सहभागिता में संख्यात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक वृद्धि हुई है। अब महिला प्रतिनिधि औपचारिक प्रतिनिधि नहीं हैं बल्कि वे अपने दायित्वों का सफल निर्वाह कर रही हैं।

सन्दर्भ सूची

1. अल्पना पारीख, भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2020, पृ. 143
2. हरिजन सेवक समाचार पत्र, 2 अगस्त 1942.
3. <http://ncsc.nic.in>file>ncsc>

4. राजकुमारी सुराणा, भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और नव पंचायती राज, राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2000, पृष्ठ 40
5. शैलेन्द्र मौर्य, तेरहवीं राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2008 में महिला सहभागिता, लोकतंत्र समीक्षा, खण्ड-43, अंक-1-2, जनवरी - जून 2011, पृ. 59-60
6. कुसुम कुशवाहा, राजनैतिक सहभागिता- महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम, योजना, वर्ष 47, अंक12, मार्च 2004, योजना भवन, नई दिल्ली, पृ. 17
7. कुसुम कुशवाहा, नोट-2, पृ. 17-18
8. 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 78 है तथा 15वीं राजस्थान विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 25 है।
9. सुनील महावर एवं शैलेन्द्र मौर्य, पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व का जातिगत विश्लेषण, पी.सी. माथुर एवं रविन्द्र शर्मा (संपा) भारत में पंचायती राज निर्वाचन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2013, पृ. 275
10. आशा व्यास, पंचायती राज में महिलाएँ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012, पृ. 40
11. पूरणमल, नवीन पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2020, पृ. 19
12. पूरणमल, नोट-7, पृ. 23
13. निरंजन मिश्र, भारत में पंचायती राज, परिबोध, जयपुर, 2006, पृ. 233
14. निरंजन मिश्र, नोट-9, पृ. 236
15. निरंजन मिश्र, नोट 9, पृ. 238-239
16. आशा व्यास, नोट-6, पृ. 40-41
17. सम्मरी ऑफ डाटा, टेबिल-1, इलेक्टोरेट एण्ड पोलिंग बूथ्स, रिपोर्ट ऑन पंचायत जनरल इलेक्शन 2015 (राजस्थान) वाल्यूम-प्प (ग्राम पंचायत) स्टेट इलेक्शन कमिशन, राजस्थान, जयपुर, पृष्ठ-1
18. लोकेश प्रसाद आनन्द, महिलाओं को 33 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत 27 जनवरी, 2015, दैनिक भास्कर, www.bhaskar.com
19. डिस्टीक वाइज स्टेटमेन्ट सोइंग कैटेगरी ऑफ पंचायत, रिपोर्ट ऑन पंचायत जनरल इलेक्शन 2015 (राजस्थान) वाल्यूम-प्प (ग्राम पंचायत) स्टेट इलेक्शन कमिशन, राजस्थान, जयपुर, पृष्ठ-3।
20. सेक्स एण्ड कैटेगरी वाइज इलेक्टेड सरपंच (डिस्टीक वाइज) रिपोर्ट ऑन पंचायत जनरल इलेक्शन 2015 (राजस्थान) वाल्यूम-प्प (ग्राम पंचायत) स्टेट इलेक्शन कमिशन, राजस्थान, जयपुर, पृष्ठ-13